प्रेषक,

**मिशन निदेशक,**
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
जनपद– कानुपर नगर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/IYCF-Trg/28/2016–17/7845 दिनांक 08/~~11~~ 12/2016

**विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित द्वितीय चरण के शेष 6 जनपदों में IYCF प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एव गतिविधियां चलाई जा रही हैं। साथ ही शिशु एवं बाल कुपोषण को कम करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह सर्वविदित है कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) अत्यन्त आवश्यक है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिशु के लिये मॉ का दूध सर्वोत्तम आहार है तथा शिशु का मौलिक अधिकार भी है।

शिशुओं और बच्चों के लिये उत्तम स्वास्थ्य तथा कुपोषण से बचाव के लिये स्तनपान और ऊपरी आहार सम्बन्धित आदर्श व्यवहार निम्नलिखित हैं:–

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान की शुरूआत करायें एवं कॉलोस्ट्रम फीडिंग करायें।
- जन्म से छः माह पूर होने तक केवल स्तनपान करायें, पानी, घुट्टी, शहद एवं अन्य पेय पदार्थ का भी प्रयोग न करें।
- छः माह पूरे होने पर स्तनपान के साथ–साथ "अन्न प्राशन" मनाकर पौष्टिक ऊपरी आहार की शुरूआत करायें।
- कम से कम दो साल की उम्र तक स्तनपान जारी रखें।

प्रदेश की शिशु मृत्युदर काफी अधिक है। प्रदेश में शिशु मृत्युदर 48/1000 जीवित जन्म **(SRS-2014)** और बाल मृत्युदर 57/1000 जीवित जन्म **(SRS-2014)** है। शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) व्यवहार मृत्युदर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रदेश में हुए सर्वे **(RSOC-2014)** के अनुसार स्तनपान सम्बन्धी व्यवहार की स्थिति उत्साहजनक नहीं हैं।

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान करन वाले शिशुओं का प्रतिशतः 22.5%
- जन्म से छः माह पूरे होने तक केवल स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशतः 62.5%

प्रदेश में बाल कुपोषण की स्थिति (NFHS, 2005–06) के अनुसार निम्नवत है जो कि चिन्ता का विषय है।

| कुपोषण के प्रकार | अतिगंभीर कुपोषित (< -3SD) | मध्यम कुपोषित (< -2SD) |
|---|---|---|
| Stunting (0–3 वर्ष) | 29.6% | 52.4% |
| Wasting (0–3 वर्ष) | 6.8% | 19.5% |
| Underweight (0–3 वर्ष) | 17.0% | 41.6% |

किसी भी समुदाय के प्रचलित व्यवहारों में बदलाव लाने के लिये चिकित्सकीय सलाह एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए जाने वाले परामर्श की अहम भूमिका है। अतः स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का शिशु एवं बाल–पोषण की तकनीकी जानकारी एवं क्षमता वृद्धि हेतु स्किल प्रशिक्षण प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

इस क्रम में आपको अवगत कराना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सात दिवसीय कार्यशाला का आयोजन BPNI (ब्रेस्ट फीडिगं एवं प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इन्डिया) के प्रशिक्षकों के माध्यम से कराया जायगा। इस प्रशिक्षण हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 25 हाई फोकस जनपदों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा द्वितीय चरण के शेष 6 जनपदों में IYCF प्रशिक्षण दिया जायेगा।

## प्रदेश में शिशु एवं बाल पोषण में सुधार लाने की रणनीति

1. स्टाफ नर्सों एवं न्यूट्रीशनिस्ट की 7 दिवसीय शिशु एवं बाल पोषण IYCF प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करना जिससे वे समाज की शिशु एवं बाल पोषण सम्बन्धी कठिनाइयों का हल निकालने में एवं परामर्श देने में सक्षम होंगें।

## IYCF कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टाफ नर्स एवं न्यूट्रीशनिस्ट के प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश

IYCF प्रशिक्षण को जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर में कराया जायेगा।

जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर में स्टाफ नर्सों के 7 दिवसीय प्रशिक्षण के 9 बैच आयोजित कराये जाने हैं।

| क्र0 सं0 | प्रशिक्षण का स्थान | प्रतिभागी | प्रशिक्षण की अवधि | प्रस्तावित बैच | जनपदों का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GSVM मेडिकल कॉलेज, कानपुर | स्टाफ नर्स एवं न्यूट्रीशनिस्ट NRC से 5 SNCU से 8 DWH से 3 एवं DH से 3 ब्लाक PHC से 2 प्रतिभागी | 7 दिन | 9 | बागपत, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फर नगर, मेरठ, मुरादाबाद |

**1– वित्तीय व्यवस्था :–**

IYCF कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टाफ नर्स एवं न्यूट्रीशनिस्ट के प्रशिक्षण हेतु नीचे दी गयी तालिका में मेडिकल कॉलेज कानपुर नगर हेतु प्रस्तावित बैच के अनुसार FMR Code-A9.5.5.2.c में निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति जनपद कानपुर नगर को अवमुक्त की जा रही है।

| Fund IYCF Staff Nurse/FD Training 2016-17 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training Site | No. of Batch | Per Batch | Funds for 9 Batches | No. of Observation | Funds for Observation | Funds for 2 Observation | Total Fund Released to DHS |
| **GSVM Medical College, Kanpur** | **9** | **335000** | **3015000** | **2** | **8500** | **17000** | **3032000** |

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र मेडिकल कालेज कानपुर को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।**

IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं न्यूट्रीशनिस्ट के प्रशिक्षण हेतु बैच एवं मद वार व्यय किये जाने हेतु विवरण नीचे दी गयी तालिकानुसार किया जाना है।

| Skill based training on IYCF of Staff Nurse | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **S. N.** | **Items** | **Unit Cost** | **No. of Units** | **No. of Days** | **Total** |
| 1 | Honorarium for Participants ( Doctors ) | 300 | 24 | 7 | 50,400.00 |
| 2 | Honorarium to Facilitators ( Trainer ) | 1000 | 4 | 7 | 28,000.00 |
| 3 | Food to Facilitators ( Trainer ) Working Lunch | 200 | 4 | 7 | 5,600.00 |
| 4 | Food to participants (Breakfast, Tea, Lunch, Dinner) | 250 | 24 | 7 | 42,000.00 |
| 5 | Course material and Contingency (training related documents and other accessory) | 300 | 24 | 1 | 7,200.00 |
| 6 | Night stay Participants (Accommodation) - Only for those who come from outside the district per day | 900 | 24 | 7 | 151,200.00 |
| 7 | Institutional overheads | 8000 | 1 | 1 | 8,000.00 |
| 8 | TA to participants (as per actual) - Only for those who come from outside the district (No TA will be admissible for local participants) | 1000 | 24 | 1 | 24,000.00 |
| 9 | TA for Facilitator ( for Out side the districts ) | 3000 | 2 | 1 | 6,000.00 |
| 10 | Night stay Facilitators (Accommodation) | 900 | 2 | 7 | 12,600.00 |
| **A** | **Total** | | | | **335,000.00** |
| Note 1: TA will be re-embursed (actual) as per entitlement on production of journey proof (Rly/Bus ticket). No individual Taxi/personal car will be allowed. Re-embursement for sharing of Taxi/personal car will be allowed subject to produnction of proper voucher or certificate in case of personal vehicle. If no proof of journey, TA will be admissible by sleeper class or bus fare only. | | | | | |
| **Note 2: The batch size of the Staff Nurses and FDs' Training will be 24** | | | | | |
| **Observer Visits per batch -only in 25 percent of total batches organized in a year** | | | | | |
| | **Items** | **Unit Cost** | **No. of Units** | **No. of Days** | **Total** |
| 1 | Honorarium of state/divisional observer | 1000 | 1 | 2 | 2,000.00 |
| 2 | Night stay to Observer (Accommodation/Dinner/Breakfast) | 2000 | 1 | 2 | 4,000.00 |
| 3 | TA for observer to & fro (as per actual) | 2500 | 1 | 1 | 2,500.00 |
| **B** | **Total** | | | | **8,500.00** |

**मेडिकल कॉलेज कानपुर में आई0वाई0सीएफ0 प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में वित्तीय दिशा निर्देश**

- उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को यात्रा भत्ता, मानदेय का भुगतान किया जाना है। प्रतिभागियों को अपने यात्रा सम्बन्धी टिकट आदि प्रस्तुत करने होगे **अन्यथा उनको दूरी के अनुसार न्यूनतम रेल/बस किराया भुगतान किया जाये।** अपने निजी वाहन से आने पर नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिभागी के वाहन का सत्यापन करने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान करें।

- प्रशिक्षकों का मानदेय रू0 1000/– प्रति दिन है।

- प्रतिभागी जो जनपद से बाहर के हों, उनके ठहरने की व्यवस्था हेतु रु0 900/– प्रति दिन के अनुसार बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे वास्तविक अनुमन्य व्यय के अनुरुप रु0 900/– की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत देय होगा। प्रतिभागियों के उनके ठहरने का प्रमाण पत्र देना होगा। उचित होगा कि 2–2 प्रतिभागी आपस में मिल कर ठहरने पर प्रतिभागियों को सुविधाजनक होगा। उनके ठहरने के लिये कॉलेज के पास में ही ठहरने की व्यवस्था कराये जाने के लिये उन्हें सहयोग किया जाये।

- प्रतिभागियों को प्रति दिन के अनुसार मानदेय दिया जायेगा। डी.ए. का भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जाना है।

* केवल आई0वाई0सी0एफ0 में प्रशिक्षित पर्यवेक्षक जो राज्य स्तर से नामित किये गये हों, को राज्य सरकार के नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाये। उनके ठहरने का वास्तविक भुगतान रू0 2000/-प्रति दिन की अधिकतम सीमा तक ही प्रमाण/बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जाये। मानदेय उक्त तालिका के अनुसार देय होगा। पर्यवेक्षकों से अपेक्षा है कि वे अपनी आख्या संयुक्त निदेशक आर0सी0एच0 एवं महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य एस0पी0एम0यू0 को भेजेंगे।

नोटः-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0 एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

- प्रशिक्षण सत्र की भौतिक प्रगति एवं व्यय विवरण **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाये जिसकी एक प्रति परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को प्राप्त कराई जाये।
- प्रशिक्षण कोर्स रिपोर्ट/प्रतिभागियों का फ़ीडबैक/अन्य टिप्पणी व्यय विवरण के साथ भेजी जाये।

भवदीय,

12/11

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

**पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/IYCF-Trg/28/2016–17/** **दिनांक /11/2016**

**प्रतिलिपि**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशक,** परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
5. **ज़िलाधिकारी/**अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, कानपुर नगर।
6. **मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर।
7. **प्रधानाचार्य**, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर।
8. **विभागाध्यक्ष**, **बालरोग विभाग,** जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. **मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
10. **ऑफीसर इन्चार्ज** हेल्थ, यूनीसेफ, बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, उ0प्र0 लखनऊ।

**(डा0 अनिल कुमार वर्मा)**
महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

**मिशन निदेशक,**
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

**सेवा में,**

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
जनपद– कानुपर नगर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/IYCF-Trg / 28 / 2016–17 / दिनांक 08 / 12 / 2016

**विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित द्वितीय चरण के शेष 6 जनपदों में IYCF प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

जैसा कि आप अवगत हैं कि शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एव गतिविधियां चलाई जा रही हैं। साथ ही शिशु एवं बाल कुपोषण को कम करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह सर्वविदित है कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) अत्यन्त आवश्यक है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिशु के लिये मॉ का दूध सर्वोत्तम आहार है तथा शिशु का मौलिक अधिकार भी है।

शिशुओं और बच्चों के लिये उत्तम स्वास्थ्य तथा कुपोषण से बचाव के लिये स्तनपान और ऊपरी आहार सम्बन्धित आदर्श व्यवहार निम्नलिखित हैं:–

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान की शुरूआत करायें एवं कॉलोस्ट्रम फीडिंग करायें।
- जन्म से छः माह पूर होने तक केवल स्तनपान करायें, पानी, घुट्टी, शहद एवं अन्य पेय पदार्थ का भी प्रयोग न करें।
- छः माह पूरे होने पर स्तनपान के साथ–साथ "अन्न प्राशन" मनाकर पौष्टिक ऊपरी आहार की शुरूआत करायें।
- कम से कम दो साल की उम्र तक स्तनपान जारी रखें।

प्रदेश की शिशु मृत्युदर काफी अधिक है। प्रदेश में शिशु मृत्युदर 48 / 1000 जीवित जन्म **(SRS-2014)** और बाल मृत्युदर 57 / 1000 जीवित जन्म **(SRS-2014)** है। शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) व्यवहार मृत्युदर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रदेश में हुए सर्वे **(RSOC-2014)** के अनुसार स्तनपान सम्बन्धी व्यवहार की स्थिति उत्साहजनक नहीं हैं।

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान करन वाले शिशुओं का प्रतिशतः 22.5%
- जन्म से छः माह पूरे होने तक केवल स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशतः 62.5%

प्रदेश में बाल कुपोषण की स्थिति (NFHS, 2005–06) के अनुसार निम्नवत है जो कि चिन्ता का विषय है।

| **कुपोषण के प्रकार** | **अतिगंभीर कुपोषित** (< -3SD) | **मध्यम कुपोषित** (< -2SD) |
|---|---|---|
| Stunting (0–3 वर्ष) | 29.6% | 52.4% |
| Wasting (0–3 वर्ष) | 6.8% | 19.5% |
| Underweight (0–3 वर्ष) | 17.0% | 41.6% |

किसी भी समुदाय के प्रचलित व्यवहारों में बदलाव लाने के लिये चिकित्सकीय सलाह एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए जाने वाले परामर्श की अहम भूमिका है। अतः स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का शिशु एवं बाल–पोषण की तकनीकी जानकारी एवं क्षमता वृद्धि हेतु स्किल प्रशिक्षण प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

इस क्रम में आपको अवगत कराना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सात दिवसीय कार्यशाला का आयोजन BPNI (ब्रेस्ट फीडिगं एवं प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इन्डिया) के प्रशिक्षकों के माध्यम से कराया जायगा। इस प्रशिक्षण हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 25 हाई फोकस जनपदों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा द्वितीय चरण के शेष 6 जनपदों में IYCF प्रशिक्षण दिया जायेगा।

## प्रदेश में शिशु एवं बाल पोषण में सुधार लाने की रणनीति

1. स्टाफ नर्सों एवं न्यूट्रीशनिस्ट की 7 दिवसीय शिशु एवं बाल पोषण IYCF प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करना जिससे वे समाज की शिशु एवं बाल पोषण सम्बन्धी कठिनाइयों का हल निकालने में एवं परामर्श देने में सक्षम होंगें।

## IYCF कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टाफ नर्स एवं न्यूट्रीशनिस्ट के प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश

IYCF प्रशिक्षण को जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर में कराया जायेगा।

जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर में स्टाफ नर्सों के 7 दिवसीय प्रशिक्षण के 9 बैच आयोजित कराये जाने हैं।

| क्र0 सं0 | प्रशिक्षण का स्थान | प्रतिभागी | प्रशिक्षण की अवधि | प्रस्तावित बैच | जनपदों का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GSVM मेडिकल कॉलेज, कानपुर | स्टाफ नर्स एवं न्यूट्रीशनिस्ट NRC से 5 SNCU से 8 DWH से 3 एवं DH से 3 ब्लाक PHC से 2 प्रतिभागी | 7 दिन | 9 | बागपत, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फर नगर, मेरठ, मुरादाबाद |

**1– वित्तीय व्यवस्था :–**

IYCF कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टाफ नर्स एवं न्यूट्रीशनिस्ट के प्रशिक्षण हेतु नीचे दी गयी तालिका में मेडिकल कॉलेज कानपुर नगर हेतु प्रस्तावित बैच के अनुसार FMR Code-A9.5.5.2.c में निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति जनपद कानपुर नगर को अवमुक्त की जा रही है।

| Fund IYCF Staff Nurse/FD Training 2016-17 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training Site | No. of Batch | Per Batch | Funds for 9 Batches | No. of Observation | Funds for Observation | Funds for **2** Observation | Total Fund Released to DHS |
| **GSVM Medical College, Kanpur** | **9** | **335000** | **3015000** | **2** | **8500** | **17000** | **3032000** |

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवटिंत धनराशि यथाशीघ्र मेडिकल कालेज कानपुर को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।**

IYCF प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं न्यूट्रीशनिस्ट के प्रशिक्षण हेतु बैच एवं मद वार व्यय किये जाने हेतु विवरण नीचे दी गयी तालिकानुसार किया जाना है।

| Skill based training on IYCF of Staff Nurse | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **S. N.** | **Items** | **Unit Cost** | **No. of Units** | **No. of Days** | **Total** |
| 1 | Honorarium for Participants ( Doctors ) | 300 | 24 | 7 | 50,400.00 |
| 2 | Honorarium to Facilitators ( Trainer ) | 1000 | 4 | 7 | 28,000.00 |
| 3 | Food to Facilitators ( Trainer ) Working Lunch | 200 | 4 | 7 | 5,600.00 |
| 4 | Food to participants (Breakfast, Tea, Lunch, Dinner) | 250 | 24 | 7 | 42,000.00 |
| 5 | Course material and Contingency (training related documents and other accessory) | 300 | 24 | 1 | 7,200.00 |
| 6 | Night stay Participants (Accommodation) - Only for those who come from outside the district per day | 900 | 24 | 7 | 151,200.00 |
| 7 | Institutional overheads | 8000 | 1 | 1 | 8,000.00 |
| 8 | TA to participants (as per actual) - Only for those who come from outside the district (No TA will be admissible for local participants) | 1000 | 24 | 1 | 24,000.00 |
| 9 | TA for Facilitator ( for Out side the districts ) | 3000 | 2 | 1 | 6,000.00 |
| 10 | Night stay Facilitators (Accommodation) | 900 | 2 | 7 | 12,600.00 |
| **A** | **Total** | | | | **335,000.00** |

Note 1: TA will be re-embursed (actual) as per entitlement on production of journey proof (Rly/Bus ticket). No individual Taxi/personal car will be allowed. Re-embursement for sharing of Taxi/personal car will be allowed subject to produnction of proper voucher or certificate in case of personal vehicle. If no proof of journey, TA will be admissible by sleeper class or bus fare only.

**Note 2: The batch size of the Staff Nurses and FDs' Training will be 24**

| Observer Visits per batch -only in 25 percent of total batches organized in a year | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Items** | **Unit Cost** | **No. of Units** | **No. of Days** | **Total** |
| 1 | Honorarium of state/divisional observer | 1000 | 1 | 2 | 2,000.00 |
| 2 | Night stay to Observer (Accommodation/Dinner/Breakfast) | 2000 | 1 | 2 | 4,000.00 |
| 3 | TA for observer to & fro (as per actual) | 2500 | 1 | 1 | 2,500.00 |
| **B** | **Total** | | | | **8,500.00** |

**मेडिकल कॉलेज कानपुर में आई0वाई0सीएफ0 प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में वित्तीय दिशा निर्देश**

- उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को यात्रा भत्ता, मानदेय का भुगतान किया जाना है। प्रतिभागियों को अपने यात्रा सम्बन्धी टिकट आदि प्रस्तुत करने होगे **अन्यथा उनको दूरी के अनुसार न्यूनतम रेल/बस किराया भुगतान किया जाये।** अपने निजी वाहन से आने पर नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिभागी के वाहन का सत्यापन करने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान करें।
- प्रशिक्षकों का मानदेय रू0 1000/- प्रति दिन है।
- प्रतिभागी जो जनपद से बाहर के हों, उनके ठहरने की व्यवस्था हेतु रु0 900/- प्रति दिन के अनुसार बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे वास्तविक अनुमन्य व्यय के अनुरुप रु0 900/- की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत देय होगा। प्रतिभागियों के उनके ठहरने का प्रमाण पत्र देना होगा। उचित होगा कि 2-2 प्रतिभागी आपस में मिल कर ठहरने पर प्रतिभागियों को सुविधाजनक होगा। उनके ठहरने के लिये कॉलेज के पास में ही ठहरने की व्यवस्था कराये जाने के लिये उन्हें सहयोग किया जाये।
- प्रतिभागियों को प्रति दिन के अनुसार मानदेय दिया जायेगा। डी.ए. का भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जाना है।

- केवल आई0वाई0सी0एफ0 में प्रशिक्षित पर्यवेक्षक जो राज्य स्तर से नामित किये गये हों, को राज्य सरकार के नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाये। उनके ठहरने का वास्तविक भुगतान रू0 2000/–प्रति दिन की अधिकतम सीमा तक ही प्रमाण/बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जाये। मानदेय उक्त तालिका के अनुसार देय होगा। पर्यवेक्षकों से अपेक्षा है कि वे अपनी आख्या संयुक्त निदेशक आर0सी0एच0 एवं महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य एस0पी0एम0यू0 को भेजेंगे।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0 एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

**अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –**

- प्रशिक्षण सत्र की भौतिक प्रगति एवं व्यय विवरण **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाये जिसकी एक प्रति परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को प्राप्त कराई जाये।
- प्रशिक्षण कोर्स रिपोर्ट/प्रतिभागियों का फ़ीडबैक/अन्य टिप्पणी व्यय विवरण के साथ भेजी जाये।

**भवदीय,**

**(आलोक कुमार)**
मिशन निदेशक

**पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/IYCF-Trg/28/2016–17/**7845-70 **दिनांक /11/2016**

**प्रतिलिपि**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशक,** परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
5. **ज़िलाधिकारी/**अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, कानपुर नगर।
6. **मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर।
7. **प्रधानाचार्य**, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर।
8. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग,** जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. **मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
10. **ऑफीसर इन्चार्ज** हेल्थ, यूनीसेफ, बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, उ0प्र0 लखनऊ।

**(डा0 अनिल कुमार वर्मा)**
महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य